राजस्थान विधान सभा

चतुर्थ सत्र

कार्य-सूची

मंगलवार, दिनांक 24 मार्च, 2015

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. याचिकाओं का उपस्थापन

(I) श्रीमती सोना देवी, सदस्य, विधान सभा, रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर) में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।

(II) श्री गोतम कुमार, सदस्य, विधान सभा, बड़ी सादड़ी, जिला-चित्तौड़गढ़ में एडीजे कैम्प कोर्ट को स्थाई रूप से संचालित करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(III) श्री छोटू सिंह, सदस्य, विधान सभा, जिला-जैसलमेर की पंचायत समिति सम ग्राम पंचायत बीदा की अस्थायी पुलिस चौकी को स्थायी पुलिस चौकी में परिवर्तित करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(IV) श्री जगदीश नारायण, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के जीर्ण-शीर्ण भवन के स्थान पर विद्यालय के नये भवन का निर्माण करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(V) श्री झाबर सिंह खर्रा, सदस्य, विधान सभा, मांगलियावास (अजमेर) को बीसलपुर पाईप लाईन से पेयजल उपलब्ध कराने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(VI) श्री भीमा भाई, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ स्थित मामा बालेश्वर दयाल महाविद्यालय को स्नातकोत्तर (पीजी) महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(VII) श्रीमती अनिता कटारा, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगी:-

1- ग्राम पंचायत पादरड़ी बड़ी, तहसील-सागवाड़ा, जिला-डूंगरपुर में जीएसएस खोलने बाबत्; एवं

2- ग्राम पंचायत ओबरी, तहसील-सागवाड़ा, जिला-डूंगरपुर में पुलिस थाना खोलने बाबत्।

3. विधायी कार्य

पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक

राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015

(I) डॉ0 रामप्रताप, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे:-

जारी..2..

राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्या-15)	"नदियों को, उनके आधिक्य से अभावग्रस्त बेसिनों और उप- बेसिनों से जोड़ने, अन्त: बेसिन जल अंतरण को सम्मिलित करते हुए भूगर्भ और सतह जल के अधिकतम और पर्याप्त उपयोग को सुनिश्चित करने, राज्य स्तरीय जल संसाधन योजनाओं को विकसित करने, बेसिनों, उप-बेसिनों, एक्वीफरों और वाटरशैड़ों के अन्तर्गत आने वाले समस्त वाटरशैड़ों, सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं की योजना द्वारा पोषणीय आधार पर नदी बेसिनों और उप-बेसिनों के प्रबन्धन और विकास के लिये एकीकृत जल संसाधन प्रबन्धन पहुंच को अंगीकृत करने और राज्य जल संसाधन सलाहकार परिषद तथा राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण की स्थापना करने के लिये और राजस्थान जल संसाधन विनियामक अधिनियम, 2012 को संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

4. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2015-2016

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा:-

क्र.सं.	मांग संख्या		मुख्य शीर्षक
1.	**42**	**-**	**उद्योग**
2.	**43**	**-**	**खनिज**
3.	**09**	**-**	**वन**

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

पृथ्वी राज
विशिष्ठ सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर ।
दिनांक : 23 मार्च, 2015